

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2021/35323/MRT/MEERUT/451/CF0

दिनांक: 05-08-2021

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **YSL COLLEGE OF EDUCATION** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **Kh NO-53, KANKAR KHERA SARDHANA ROAD MEERUT, MEERUT** तहसील - **MEERUT**, प्लॉट एरिया **5000.00 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **5167.00** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SINGLE BLOCK	2	0	07.62 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **YSL COLLEGE OF EDUCATION** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **06-08-2021** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MUKESH KUMAR SHARMA** **ysldgmeerut@gmail.com7251091777** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **08-08-2021** से **07-08-2024** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अन्य के सम्बन्ध में लगायी गयी शर्त के अनुसार **3** माह में अनुपालन / कार्यवाही पूर्ण नहीं किया जाती है तो निर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र की वैधता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी एवं भवन स्वामी मैसर्स **YSL COLLEGE OF EDUCATION** अधिभोगी सभी प्रकार के सिविल एवं क्रिमिनल गतिविधियों के लिए पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

शर्त(Conditions) :

As per Fso Reports :- 1. भवन के टैरिस पर टैरिस टैंक 10000 लीटर क्षमता का व टैरिस पम्प क्षमता 450 एलपीएम का स्थापित कराया जाये। 2. भवन में डाउनकमर व होजरील सिस्टम मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाये। 3. भवन 01.50-01.50 मीटर के 02 अदद स्टेयरकेस का निर्माण कराया जाये ताकि ट्रेबल डिस्टेंशन अनुमान्य सीमा के अन्तर्गत हो जाये।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(SANTOSH KUMAR RAI)

[85A104D63E7672F6A4B15F7FD64296604910C9BB]

08-08-2021

निर्गत किये जाने का दिनांक : 08-08-2021
स्थान : MEERUT